>

Title: Need to include 'Angika' Language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में बोली जाने वाली भाषा अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए, क्योंकि अंगिका बिहार एवं झारखण्ड के साथ बंगाल, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में लगभग तीन करोड़ लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा है। जो लगभग सौ वर्षों से बिहार के कोसी अंचल, भागलपुर एवं इसके नजदीकी क्षेत्रों तथा झारखण्ड के संथाल परगना में काफी प्रचलित है। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग लिपि भी थी और देश में अंगिका को साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस भाषा का साहित्यिक रूप से काफी समृद्ध इतिहास रहा है। आठवीं शताब्दी के कवि सरह (सरहपा) को अंगिका साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। सरहपा को इसका आदि कवि माना जाता है। महोदय, यह भाषा हमारे देश की परंपरा और विरासत को भी संजोए हुए है, क्योंकि महाभारत काल में मेरा संसदीय क्षेत्र अंग देश के रूप में विद्यमान था जो बाद में दुर्योधन द्वारा कर्ण को भेंट स्वरूप दे दिया गया था तब भागलपुर इस अंग देश की राजधानी हुआ करता था। तब से लेकर आज तक अंगिका भाषा हमारे देश की संस्कृति और प्राचीन परंपरा को अपने में संजोए हुए मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर एवं आसपास के बड़े भाग में प्रचलित है। महोदय, जिस प्रकार बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है एवं उसका जो स्थान है उसी प्रकार अंगिका का प्रसार भी भागलपुर सहित राज्य के बड़े भूभाग में है। कृपया इस भाषा को अष्टम सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।